जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 07.09.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 851/2024 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.09.2024 को वादी नईम अहमद पुत्र रईस अहमद निवासी नई बस्ती उस्मानिया मस्जिद के पास थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 07.09.2024 को समय करीब 11.00 बजे एक भिखारी वादी के घर पर भीख मांगने आया, जिसे वादी ने भीख देने से मना कर दिया तो उक्त भिखारी ने वादी के पेट में सब्जी काटने वाले चाकू से वार कर घायल कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 851/2024 धारा 109(1) बीएनएस बनाम जीशान पुत्र गुलाम मौहम्मद निवासी बसी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त जीशान उर्फ निसार अहमद (दिव्यांग) पुत्र गुलाम मौहम्मद निवासी मौ0 लाडपुरा बसी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला चाकू बरामद किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जीशान उर्फ निसार अहमद (दिव्यांग) पुत्र गुलाम मौहम्मद निवासी मौ0 लाडपुरा बसी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.कां0 1892 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.कां0 2218 गौरव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

BIJNOR POLICE

माह अगस्त – 2024

माह अगस्त – 2024 में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली – जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर व जनपद के 19 थानों को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

कार्यवाही –

शासन द्वारा संचालित जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में प्रदेश स्तर पर मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गयी है। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (आईजीआरएस) के निकट पर्यवेक्षण में जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालय/थानों पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण किया गया, जिसके फलस्वरुप शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर निर्धारित की जाने वाली रैंकिंग में **माह अगस्त – 2024 में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर व जनपद के 19 थानों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।** उक्त रैंकिंग प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण, शिकायतकर्ता/आवेदक द्वारा दिये गये फीडबैक, प्रार्थना पत्रों की ऑनलाइन फीडिंग आदि मानको के आधार पर दी जाती है।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले थाना प्रभारियों व आईजीआरएस शाखा में नियुक्त अधि0/कर्म0गणों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

क्र0 सं0	थाना	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रैंक
1	चाँदपुर	90	90	100 %	1
2	धामपुर	90	90	100 %	1
3	किरतपुर	90	90	100 %	1
4	कोतवाली देहात	90	90	100 %	1
5	नगीना	90	90	100 %	1
6	हल्दौर	90	90	100 %	1
7	बढापुर	90	90	100 %	1
8	अफजलगढ़	90	90	100 %	1
9	शिवालाकलां	90	90	100 %	1
10	मंडावली	90	90	100 %	1
11	नगीना देहात	90	90	100 %	1
12	हीमपुर दीपा	90	90	100 %	1
13	नांगल	90	90	100 %	1
14	शेरकोट	90	90	100 %	1
15	स्योहारा	90	90	100 %	1
16	नजीबाबाद	90	90	100 %	1
17	नहटौर	90	90	100 %	1
18	नूरपुर	90	90	100 %	1
19	मंडावर	90	90	100 %	1

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर **दिनांक 07.09.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने चार अभियुक्तो को चोरी किये गए बिजली के तार व पिकअप वाहन सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.09.2024 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नीरज व 2. बोबी पुत्रगण विजय निवासी ग्राम विसावली थाना बछरायुं जनपद अमरोहा, 3.हरेन्द्र पुत्र महिपाल, 4.नीतू पुत्र महिपाल तथा 5.प्रदीप पुत्र महीपाल निवासीगण ग्राम पट्टी खादर थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा द्वारा दिनांक 21.06.2024 की रात्रि में चांदपुर क्षेत्र के चौंधेडी नहर के पास 11 के0वी0 बिजली लाइन का 710 मीटर लम्बाई का तार चोरी कर लिया गया।

तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0स0 452/2024 धारा 379 भादवि बनाम नीतू सहित 05 नफर अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियुक्तगण 1.सलीम पुत्र अमीरुद्दीन नि0 ग्राम मुबारकपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर, 2.तेजपाल पुत्र हरफूल सिंह नि0 ग्राम लखमीधर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर व 3- नौशाद पुत्र निसार नि0 ओमरीपीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 07.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तगण 1- सलीम पुत्र अमीरुद्दीन नि0 ग्राम मुबारकपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर, 2- नीतू पुत्र महिपाल नि0 ग्राम पट्टी खादर थाना मण्डी धनौरा जनपद बिजनौर, 3- तेजपाल पुत्र हरफूल सिंह नि0 ग्राम लखमीधर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर व 4- नौशाद पुत्र निसार नि0 ओमरीपीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग से संबंधित चोरी किये गए विधुत तार (एल्यूमिनियम) के 04 बन्डल व वाहन पिकअप सं0 DL1LAA-5871 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण से की गई पूछताछ मे यह तथ्य प्रकाश में आये कि उनके द्वारा इसी वर्ष जून के महिने मे चौंधेडी नहर के पास से नई विद्युत लाइन के तारो को काटकर चोरी किया गया था तथा चोरी किये गए बिजली के तारो को तेजपाल (उपरोक्त) द्वारा ग्राम लक्ष्मीधर में छिपाया गया था। आज चारो अभियुक्तगण चोरी किये गए बिजली के तारों के बन्डल को उपरोक्त पिकअप में रखकर बेचने के लिये दिल्ली जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.सलीम पुत्र अमीरुद्दीन नि0 ग्राम मुबारकपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2.नीतू पुत्र महिपाल नि0 ग्राम पट्टी खादर थाना मण्डी धनौरा जनपद बिजनौर।
3.तेजपाल पुत्र हरफूल सिंह नि0 ग्राम लखमीधर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
4.नौशाद पुत्र निसार नि0 ओमरीपीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1.चोरी किये गए विधुत तार (एल्यूमिनियम) के 04 बन्डल
2.पिकअप वाहन सं0 DL1LAA-5871

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री त्रिवेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.का0 1191 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.कां0 2123 अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5.का0 2302 दिनेश बंसल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक– 07.09.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.02.2024 को वादी श्री पुनीत कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तकीपुर नरोत्तम उर्फ धर्मपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 30.01.2024 को अज्ञात अभियुक्त ने कस्बा किरतपुर में कृष्णा बैंकट हॉल के बाहर से वादी की मोटरसाईकिल UP20CE6858 होण्डा SP125DISK चोरी कर ली है प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 63/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 07.09.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 63/24 धारा 379 भादवि से सम्बंधित मोटरसाईकिल UP20CE6858 के साथ अभियुक्त शिवम पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 भुड्डी कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उक्त मोटरसाईकिल मैने व मेरे साथी अजीत पुत्र योगेश उर्फ काला निवासी मौ0 जाटान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने दिनांक 31.01.2024 को कृष्णा बैंकल हाल के सामने से चोरी की थी तथा मै छिपते छिपाते हुए इसी मोटर साइकिल को चला रहा था।

विवेचना के क्रम में अभियोग में अभियुक्त शिवम व अजीत का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त अजीत उपरोक्त के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

शिवम पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ0 भुड्डी कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोटरसाईकिल UP20CE6858

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना किरतपुर बिजनौर

2.कां0 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर बिजनौर

3.कां0 689 गौरव तेवतिया थाना किरतपुर बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 07.09.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	स्योहारा	सुरेश चन्द पुत्र मल्लू सिंह नि0 ग्राम रामपुर कृष्णा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2	नहटौर	उदेश पुत्र जयराम निवासी ग्राम रुखड़ियो थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3	नहटौर	अर्जुन पुत्र सुदेश निवासी ग्राम रुखड़ियो थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4	किरतपुर	सुशील पुत्र अमीर सिंह निवासी ग्राम असगरपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5	नजीबाबाद	जूगनु पुत्र सन्नू निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

थाना स्योहारा

थाना नहटौर

थाना किरतपुर

थाना नजीबाबाद

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर **दिनांक 07.09.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण –

आज दिनांक 07.09.2024 को थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त नवजीत उर्फ निक्की पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शादीपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल स्पलैण्डर रंग काला जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP23AJ-7648 लगी थी, बरामद हुई।

इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 358/2024 धारा 317(2)/318(4)/336(2) बीएनएस बनाम नवजीत उर्फ निक्की उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त नवजीत उर्फ निक्की ने पूछताछ पर बताया कि मैने यह मोटरसाइकिल स्पलैण्डर DL5SCN-1578 (सही नम्बर प्लेट) उपरोक्त को करीब एक महिने पहले लोनी गाजियाबाद से चोरी किया था **(इस संबंध में थाना डीएलएफ अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद पर मु0अ0स0 267/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत है।)** कुछ दिन पहले मेरा सगा भाई शुभम व उसका दोस्त पवन इस मोटरसाइकिल को मांग कर ले गये थे। शुभम ने मुझे बताया कि इसी मोटरसाइकिल से उसने अपने दोस्त पवन व आशु के साथ मिलकर गांव कुम्हेडा (थाना किरतपुर) से किसी जनसेवा केन्द्र से लूट की थी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैने मोटरसाइकिल को गन्ने के खेत में छिपा दिया था। आज मै इस मोटरसाइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट UP23AJ-7648 लगाकर बेचने की फिराक में शहर से दूर जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नवजीत उर्फ निक्की पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शादीपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नवजीत उर्फ निक्की उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 1442/2021 धारा 380/411 भादवि थाना थाना लोनी गाजियाबाद।

2.मु0अ0सं0 267/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना डीएलएफ लोनी गाजियाबाद।

2.मु0अ0सं0 358/2024 धारा 317(2)/317(5)/318(4)/336(3) बीएनएस थाना किरतपुर बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

चोरी की फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई एक स्पलैण्डर मोटरसाइकिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना किरतपुर बिजनौर

2- उ0नि श्री आशीष पूनिया थाना किरतपुर बिजनौर

3- का0 2119 मोहसीन थाना किरतपुर बिजनौर

4-का0 1106 ईशूं पंवार थाना किरतपुर बिजनौर